राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2086/2009

राधेश्याम गुप्ता

–अपीलार्थी

बनाम

निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक के पद पर दिनांक 12.07.1975 को अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में हुई थी। अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 15.05.1998 के द्वारा दिनांक 12.07.1994 से दिया गया। जबकि अपीलार्थी को उक्त 25.01.1992 से दिया जाना चाहिए था। अपीलार्थी को गलत प्रकार से चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है और अपीलार्थी को नियमानुसार प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है, जो उचित नहीं है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि विभागीय आदेश क्रमांक 41946–48 दिनांक 19.09.2011 के द्वारा नियुक्ति तिथि 12.07.1975 (अप्रशिक्षित होने के कारण दिनांक 12.07.1985) से 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 12.07.2004 को चयनित वेतनमान (5500–9000) स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान विभागीय आदेश दिनांक 29.06.2002 के अनुसार संशोधन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिय गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों को चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के संबंध में आदेश दिनांक 29.06.2002 (अनुलग्नक–2) जारी किया है, जिसमें यह प्रावधान रखा गया है कि अप्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया जाये। उक्त पत्र दिनांक 29.06.2002 के आधार पर अपीलार्थी का चयनित वेतनमान संशोधित किये जाने की कार्यवाही लंबित होना प्रत्यर्थी विभाग ने बताया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि यदि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.06.2002 अनुसार लाभ प्रदान किया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

4. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह अपील इस प्रकार निस्तारित की जाती है कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान के लाभ के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पत्र 29.06.2002 के अनुसार लाभ प्रदान किया जाये। अपीलार्थी को एरियर की राशि मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से प्रदान की जाये।
5. अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी नियमानुसार चयनित वेतनमान संशोधित किये जाने के संबंध में वांछित प्रपत्र प्रत्यर्थी विभाग में प्रस्तुत करें। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के संबंध में चयनित वेतनमान संशोधित किये जाने की कार्यवाही 4 माह में सुनिश्चित करें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)